न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आर.ए.एस.

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 18/2015

प्रार्थी–

घनश्याम पुत्र मोहनदास, जाति साद, निवासी नाथडाऊ, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी–

1. धनराज पुत्र औंकारदास, जाति महाजन, निवासी नाथडाऊ, तह0 शेरगढ़, जिला जोधपुर हाल निवासी ग्राम चिचोली, तह0 धामन गांव, जिला अमरावती, महाराष्ट्र।
2. भंवरलाल पुत्र मोहनदास
3. रामनिवास पुत्र मोहनदास
4. श्यामसंदर पुत्र मोहनदास
5. कमला देवी पत्नी मोहनदास

रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 5, जातियान साद, निवासीगण ग्राम नाथडाऊ, तह0 शेरगढ़ जिला जोधपुर।

6. अयोध्या पुत्री मोहनदास
7. संतोष पुत्री मोहनदास

जातियान साद, निवासीगण ग्राम नाथडाऊ, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

8. घनश्याम पुत्र हजारीमल, निवासी मकान नं0 16, दाधीच नगर, महामंदिर, जोधपुर
9. श्रीमान् तहसीलदार, शेरगढ़, जिला जोधपुर।
10. श्रीमान् भूमि अभिलेख निरीक्षक, नाथडाऊ, तह0 शेरगढ़, जिला जोधपुर।
11. श्रीमान् उप तहसीलदार, शेरगढ़, जोधपुर
12. श्रीमान् पटवारी, पटवार हल्का, नाथडाऊ, तह0 शेरगढ़, जिला जोधपुर।
13. श्री नन्दकिशोर पुत्र शंकरलाल चाण्डक, जिला महाजन, निवासी गजानंद नगर, वार्ड नं.–8, जिला जोधपुर।

उपस्थितिः–

1–प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री भरत बूब।
2–अप्रार्थी सं. 2 से 7 तक ओ.पी.विश्नोई अनुपस्थित।
3–अप्रार्थी सं. 8 की तरफ से राजीव शर्मा उपस्थित।
4–अप्रार्थी सं. 1, 9 से 13 बावजूद इतला नोटिस के गैर हाजिर।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र

—: निर्णयः— दिनांक : 30.12.2016

प्रार्थी अभिभाषक ने एक नामान्तरकरण अपील बाबत नामान्तरकरण सं. 1298 ग्राम नाथड़ाऊ के खसरा नं. 574 रकबा 28.12 बीघा का रेस्पोडेण्ट सं. 11 के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 01 के स्थान पर दिनांक 12.04.2010 को रेस्पोडेण्ट सं. 8 पर भरा गया, के आदेश को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी सूरत में व्यवसाय करता है, और अपने व्यापारिक कारणों से न तो प्रार्थी को तारीख पेशी की जानकारी थी, और नही प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। जिसके कारण प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नही हो सका था। और प्रार्थी के विरूद्ध उक्त अपील का अदम पैरवी में दिनांक 26.04.2014 को खारिज कर दिया गया था। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने का वाजिब कारण था। और प्रार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर पाया था, जिस कारण प्रार्थी की अपील खारिज की गयी। अगर अपील को पुनः उस नम्बर पर पुनः नही लिया जाता है तो प्रार्थी की अपील को प्रस्तुत करने का मकसद समाप्त हो जायेगा। और अपील पुनः नम्बर पर ली जाती है तो रेस्पोडेण्टस को किसी प्रकार प्री—ज्यूडिश कारित नही होगा। इसके अलावा प्रार्थी अदम हाजरी में अपील के खारिज होने की जानकारी प्राप्त नही हुई। प्रार्थी कोई परिसर में आने से और अपील के खारिज होने की स्थिति में जानकारी प्राप्त होते ही वकील से सम्पर्क किया तुरन्त प्रभाव में रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। और नकल प्राप्त होते ही अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी। अतः रेस्टोरेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पुनः नम्बर पर लेने का आग्रह किया।

अप्रार्थी सं. 8 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय हाजा में अपील सं. 03/2013 विचाराधीन थी। जो रेस्पोडेण्ट के तलबी हेतु चल रही थी। उक्त अपील में अपीलार्थी के वकील की ओर से तलबी की कार्य पूर्णा नही करा सके। और अपील में नियत तारीख पेशी 28.04.2014 को उपस्थित नही होने के कारण अदम हाजरी/ अदम पैरवी में अपील खारिज कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया।

प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम का पेश किया उसमें भी रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश करने का कोई उचित कारण नही बताया गया है। मात्र यह लिख दिया कि प्रार्थी सूरत में व्यवसाय करता है। उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी की जानकारी उपलब्ध नही करवाई गयी। इस कारण से प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय हाजा से प्रार्थी की अपील सं. 03/2013 दिनांक 28.04.2014 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज है। जिसे पुनः नम्बर पर नही लिया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

न्यायालय ने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि न्यायालय हाजा ने प्रार्थी की अपील सं. 03/2013 धनश्याम बनाम धनराज दिनांक 28.04.2014 को पूर्व में नियुक्त अभिभाषक नियत पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर अपील का निस्तारण कर दिया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उसमें वर्णित तथ्यों विश्वास करने योग्य नही है। क्योंकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 में यह अंकित किया है कि उक्त अपील खारिज होने की जानकारी दिनांक – प्राप्त की ''– स्पष्ट है, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में जानकारी होने की कोई दिनांक अंकित नही की है, जिससे देरी का पता लगा सके। न ही प्रार्थना पत्र में नकल प्राप्त करने अथवा नकल प्राप्त होने के बाद में जो समय लगा है। उसका कोई प्रतिदिन का ब्यौरा नही दिया। बहस में बताया कि उसने नकल हेतु आवेदन 08.09. 2015 को किया और नकल प्राप्त की 04.11.2015 को प्रश्न यह है कि न्यायालय ने दिनांक 28.04.2014 को निर्णय किया था। और दिनांक 28.04. 2014 से 08.09.2015 तक की देरी का कोई कारण स्पष्ट नही किया गया है। साथ ही प्रार्थी को निर्णय की जानकारी कब हुई इसकी भी कोई तारीख, स्पष्ट रूप से नही बताई गई। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र लगभग 16 माह पश्चात प्रस्तुत किया है। और देरी का जो कारण बताया वह विश्वास योग्य नही है। प्रार्थी का कर्त्तव्य बनता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रत्येक पेशी पर हुई कार्यवाही की जानकारी अपने अधिवक्ता से प्राप्त करनी चाहिये।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एतद्ध खारिज किया जाता है।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 30.12.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर